भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-321

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

शिक्षकों की कमी

†*321. **श्री नरेश गणपत म्हस्के:**
श्रीमती शांभवीः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के राज्यवार कुल कितने पद रिक्त हैं;
(ख) क्या शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्र-शिक्षक अनुपात और शिक्षण के समग्र परिणाम पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जिन राज्यों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है उनका ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;
(घ) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकारों को कोई विशेष निदेश जारी किए हैं;
(ङ.) क्या सरकार के पास समय पर भर्ती, पारदर्शिता और योग्यता-आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;
(च) सरकार इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए क्या कदम उठा रही है; और
(छ) क्या सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री नरेश गणपत म्हस्के और श्रीमती शांभवी द्वारा 'शिक्षकों की कमी' के संबंध में दिनांक 24.03.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 321 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए देश के अधिकांश स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। इसलिए, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तर्कसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के दायरे में आती हैं। इसके अलावा, भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और कई कारकों जैसे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण शिक्षकों की बढ़ी हुई आवश्यकता आदि के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में डाटा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखा जाता है।

सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम का छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों के लिए 25:1 से कम का पीटीआर सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। यूडाईज़+ 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार, देश का पीटीआर 27:1 से बढ़कर यूडाईज़+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 25:1 हो गया है।

सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का अनुरोध करती है, ताकि स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों के माध्यम से पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों की समय पर भर्ती सुनिश्चित की जा सके। शिक्षकों में योग्यता/गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 23 अगस्त, 2010 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निरंतरता और शुचिता पर समुचित ध्यान देते हुए एवं प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना एवं पूर्वानुमान लगाने के बाद आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा के माध्यम से मिशन मोड में शिक्षक की रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रगति की समीक्षा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठकों एवं सलाह के माध्यम से की जाती है।

******